न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई

पीठासीन अधिकारी—श्री विनोद कुमार मीना ,आर.ए.एस

वाद संख्या—8/2019

किस्म मुकदमा— दावा

तारीख निर्णय —22.03.19

1. रामजीलाल पुत्र बद्री कौम खाती निवासी सैडौली तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

वादी

बनाम

1. जगन पुत्र रघुनाथ कौम जाट निवासी सैडौली तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
3. श्रीमान प्रबंधक भारतीय स्टेट बैक शाखा नदबई जिला भरतपुर

प्रतिवादीगण

—

उपस्थित श्री महेन्द्रसिंह एण्डवोकेट

निर्णय दिनांक 22.03.19

वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 89 53 व 188 रा0का0 अधिनियम पेश कर निवेदन किया आराजी ख0न0 221 रकवा 0.12 हैक्ट., 222 रकवा 0.30 हैक्ट., 355 रकवा 0.37 हैक्ट., 525 रकवा 0.19 हैक्ट. किता 4 रकवा 0.98 हैक्ट. वाके ग्राम सैडौली तह0 नदबई पर स्थित है। जिसके साबिक ख.न. 156 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा ,262 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा , 400 रकवा 15 विस्वा किता 3 रकवा 3 बीघा 17 विस्वा से बने है। उक्त विवादित आराजी वादी व वादी के भाई श्रीराम व केदार पुत्र बद्री व रामजीलाल की व हिस्सा बराबर की खातेदारी व कब्जे की आराजी थी। जिसमें से वादी द्वारा केदार का 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 27.05.1992 में खरिद किया था। और बयनामा के आधार पर वादी वक्त खारीद से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु कानूनी अज्ञानता के कारण रजि0 बयनामा के आधार पर वादी ने दाखिला खारिज नही कराके राजस्व अभियान केम्प तलछेरा दिनांक 04.07.2017 राजस्व लोक अदालत में बयनामा जानकारी होने पर पेश किया तो पूर्व इन्द्राजात मुताबिक मृतक श्रीराम द्वारा जगन पुत्र रघुनाथ जाट 1/3 हि. व केदार 1/3 हि. व रामजीलाल 1/3 हिस्सा दर्ज कर गिरदावर द्वारा अंकन सही मानकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

केदार विक्रेता मृतक मानकर अब दाखिला संदेहास्पद मानकर दाखिला खारिज किया जाता है। और केदार मृतक के वारिसान की जांच कराना तय किया है। इस प्रकार विक्रेता की जांच करना कानून के विरूद्व है क्योकि उनका हक जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 27.05.1992 से ही हस्तानितरित हो चुका है। तथा तहसीलदार नदबई द्वारा जांच की जा चुकी है। उसके बाबजूद देरीना मानकर रजि0 बयनामा वर्णित आराजी का कब्जे काश्त पर होते हुए भी बाद जांच खारिज करना न्याय व कानून के विपरित है। जो काबिल गौर अदालत है। विवादित आराजी के खातेदार श्रीराम द्वारा बेचा गया हिस्सा जगन पुत्र रघुनाथ जाट के नाम हो चुका है। और राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात हो चुका है। परन्तु केदार मृतक लावल्द विला औरत फौत होने के कारण भी मुझ वादी के नाम कब्जे पर होते हुए खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में दाखिला खारिज स. 493 वाके ग्राम सैडौली दिनांक 04.07.2017 को खारिज करने के बाद मुझ वादी द्वारा अपील न करके इस्तकरार हक व घोषणा खातेदारी अदालत श्रीमान में दावा कब्जे काश्त रजि0 बयनामा के आधार पर पेश किया है। जिसमें पटवारी से नकल नामा0 स0 493 व रिपोर्ट पटवारी दिनांक 09.01. 2019 के आधार पर दावा घोषणा खातेदारी व अंकन राजस्व अभिलेख हेतु किया है। और कब्जे काश्त रजि0 दस्तावेज के आधार पर वादी खातेदारी का मुश्तक है। वादी आराजी पर खातेदार की हैसियत काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु सह खातेदार द्वारा सिचाई जुताई मेज आदि पर विवाद होता है और मनवट के बजाय कानूनी बटवारा कराकर प्रार्थी वादी 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी स. 1 को 1/3 हिस्सा पर काबिज है जिसके आधार पर दावा वादी कब्जे मुताबिक हिस्से अनुसार कानूनी बटवारा कराकर कुर्रेजात बनाकर आराजी में से अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बेरी आराजी का कब्जे मुताबिक हिस्से अनुसार बंटवारा कराकर राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने का हकदार है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 10.01.2019 को धमकी दी कि मै बिना सिचाई करे ही तेरी फसल जो सिचाई कर रखी है उसे काटूगा। अगर प्रतिवादीगण उक्त धमकी में कामयाब हो गया तो वादीगण को अजीम क्षती होगी । अतःवादीगण प्रतिवादीगण को जरिये हुक्त उम्तनाई की डिक्री से पाबन्द करापाने का अधिकारी है।

अन्त में प्रार्थना की है कि वादी रजि0 बयनाम दिनांक 27.05.1992 के आधार पर व वक्त बयनामा से ही काबिज होने के कारण प्रतिवादी केदार के स्थान पर वादी को आराजी पर 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। तथा प्रतिवादी स. 1 के साथ वाद घोषणा खातेदारी विभाजन डिकी किया जाकर कानूनी बटवारा कराकर कुर्रेजात बनाकर आराजी में से अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बेरी आराजी का कब्जे मुताबिक हिस्से अनुसार बंटवारा कराकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा में तरमीम करतु हुए अलग– अलग कुरेजात

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करते हुए वादी को 2/3 हिस्से का व प्रतिवादी स. 1 को 1/3 हिससे की खातेदारी देते हुए हिस्से मुताबिक कुरेजात करते हुए प्रतिवादी स. 1 को दावे के निस्तारण तक मदाखलत मजाहमत न करने हेतु पाबन्द किया जावें।

दावा दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीण को जरिये सम्मन तलव किया गयें। प्रतिवादीगण स0 1 स्वंय उपथित हुऐ तथा दिनांक 07.03.19 को श्री लाखन भातरा एंण्ड जरिये इकबाल दावा प्रतिवादी द्वारा पेशा किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी स. 2 लगायत 3 तामील वावजूद अनुपस्थित रहे जिनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। तथा दावे में अंकित तथ्यो को स्वीकार किया गया।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमांबन्दी संवत 2070 –73 वाके ग्राम सैडौली तह0 नदबई पेश कि गई EXP-1। नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम सैडौली EXP-3&4, नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम सैडौली, नकल ईन्तकाल संख्या 493 वाके ग्राम सैडैली EXP-6, नकल बयनामा फोटो प्रति दिनांक 27.05.92 EXP-2 , नकल फोटो मृत्यु प्रमाण पत्र केदार दिनांक 10.032009, नकल फोटो प्रति प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अभियान दिनांक 05.06.18 EXP-5, नकल जमाबंन्दी संवत 2046–49 खाता स.30 वाके ग्राम सैडौली पेष किये गये EXP-7। तथा मौखिक बयान के रूप में स्वयं वादी के शपथ पत्र पेश किये गये।

प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश नही करने एवं जिरह नही करने का निवेदन किया गया।

वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र किये जाने घोषणा खातेदारी बाबत पेश किया गया। जिसमें वादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा वाद पत्र में घोषणा खातेदारी एवं विभाजन भी चाहा गया है परन्तु प्रार्थी की खातेदारी की आराजी भी ओर है। उक्त दावा में वर्जन नही किया गया है। मात्र सम्मिलित खातेदारी जगन पुत्र रघुनाथ की आाराजी ही है। जिसमें खातेदारी घोषणा ही प्रार्थी को दिया जावें। इसलिए प्रार्थी बटवारा की डिक्री नही करना चाहाता है। तथा केवल घोषाणा की खातेदारी कि जावें।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी । प्रार्थना पत्र वादी का स्वीकार किये जाने में प्रति वकील द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नही कि गई। इसलिए प्राथी/वादी को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी घोषणात्मक बाबत नियत किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत कि गई ।

बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराया गया। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावल पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि आराजी ख0न0 221 रकवा 0.12 हैक्ट., 222 रकवा 0.30 हैक्ट., 355 रकवा 0.37 हैक्ट., 525 रकवा 0.19 हैक्ट. किता 4 रकवा 0.98 हैक्ट. वाके ग्राम सैडौली तह0 नदबई पर स्थित है। जिसके साबिक ख.न.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

156 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा ,262 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा , 400 रकवा 15 विस्वा किता 3 रकवा 3 बीघा 17 विस्वा से बने है। उक्त विवादित आराजी वादी रामजीलाल व वादी के भाई श्रीराम व केदार पुत्र बद्री व रामजीलाल की 2/3 व हिस्सा बराबर की खातेदारी व कब्जे की आराजी थी। ई. न. 124 से जगन पुत्र रघुनाथ को जरिये डिक्री न्याया. ए.सी.एम. भरतपुर निणर्य दिनांक 15.06.83 से 1/3 हिस्से की खातेदारी प्राप्त हुई। नकल जमाबंन्दी संवत 2046 से 49 पेश कि। जिसमें से वादी रामजीलाल द्वारा केदार का 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 27.05.1992 में खारिद किया था। और बयनामा के आधार पर वादी वक्त खरीद से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु कानूनी अज्ञानता के कारण रजि0 बयनामा के आधार पर वादी ने दाखिला खारिज नही कराके राजस्व अभियान केम्प तलछेरा दिनांक 04.07.2017 राजस्व लोक अदालत में बयनामा जानकारी होने पर पेश किया तो पूर्व इन्द्राजात मुताबिक मृतक श्रीराम द्वारा जगन पुत्र रघुनाथ जाट 1/3 हि. व केदार 1/3 हि. व रामजीलाल 1/3 हिस्सा दर्ज कर गिरदावर द्वारा अंकन सही मानकर केदार विक्रेता मृतक मानकर अब दाखिला संदेहास्पद मानकर दाखिला खारिज किया जाता है। और केदार मृतक के वारिसान की जांच कराना तय किया है। जो कि गलत व कानून के खिलाफ किया गया है। जिसकी नकल नामान्तकरण स. 493 पेश कि गई। उक्त विवादित आराजी के खातेदार श्रीराम व केदार पिसरान बद्री दोनो लाबल्द बिला औलाद फौत हो चुके है केदार का मृत्यु प्रमाण पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। जगन पुत्र रघुनाथ को जरिये डिक्री न्याया. ए.सी.एम. भरतपुर निणर्य दिनांक 15.06.83 से 1/3 हिस्से की खातेदारी प्राप्त हुई तथा श्रीराम द्वारा अपना बेचा गया हिस्सा 1/3 हिस्सा जगन पुत्र रघुनाथ जाट व केदार द्वारा विक्रय किया गया रजि0 बयनामा हिस्सा 1/3 रामजीलाल वादी के नाम कब्जे में व बदस्तूर काश्त है। अतः वादी रामजीलाल के रजि0 बयनामा दिनांक 27.05.1992 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

अतः दावा वादी इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी ख. न. 221 रकवा 0.12 , 222 रकवा 0.30, 355 रकवा 0.37, 525 रकवा 0.19 हैक्ट. वाके ग्राम सैडोली तहसील नदबई पर वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक 22.03.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना)
उपखण्ड़ अधिकारी
नदबई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official